उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या : 23/2018/378/छप्पन-2018-93/2016

लखनऊ : दिनांक : 22 मार्च, 2018

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन अनुभाग **वित्तीय वर्ष : 2017-18** **(धनराशि लाख रूपये में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2203-तकनीकी शिक्षा-105-बहुशिल्प विद्यालय-03-एयरक्राफ्ट मेन्टीनेंस संस्था का सुदृढ़ीकरण-29-अनुरक्षण					
220300105030029	15.00	3.00	3.00	3.00	12.00
योग	15.00	3.00	3.00	3.00	12.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
2203-तकनीकी शिक्षा-105-बहुशिल्प विद्यालय-03-एयरक्राफ्ट मेन्टीनेंस संस्था का सुदृढ़ीकरण					
220300105030009-विद्युत व्यय	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

220300105030015- मोटर गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	0.80	1.30	0.50	0.50	1.30
220300105030049- चिकित्सा व्यय	1.20	1.70	0.50	0.50	1.70
योग	4.00	7.00	3.00	3.00	7.00

1- स्तम्भ-3 में इंगित मद में संस्थान एवं आवासीय कालोनी एवं छात्रावास में आवश्यकतानुसार अनुरक्षण कराए जाने के कारण बचत संभावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है- कार्यालय के विद्युत बिलों का भुगतान, मोटर गाडियों के रख-रखाव एवं ईंधन पर होने वाले भुगतान एवं कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों के भुगतान हेतु व्यायाधिक्य हो रहा है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 ,151, 154व155में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव,
नागरिक उड्डयन विभाग।

आर.ई. संख्या- 577-ई-7/दस-2018, दिनांक : 22 मार्च, 2018

सेवा में,
महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर .....
(राजेन्द्र राम)
अनु सचिव,
वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या : 23/2018/378(1)/छप्पन-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6- गार्ड बुक।

(डॉ सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव,
नागरिक उड्डयन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।